अध्याय I: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3,42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से परिबद्ध है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह सात संभागों और 33 जिलों में विभाजित है।

राज्य के प्रमुख संकेतक **तालिका 1.1** एवं ***परिशिष्ट 1.1*** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: राज्य के प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल*	2021-22	लाख वर्ग किलोमीटर	3.42	32.87
2.	जनसंख्या^	2022	करोड़	8.02	137.56
3.	दशकीय वृद्धि दर^	2012-2022	प्रतिशतता	15.02	12.12
4.	जनसंख्या घनत्व^^	2022	जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर	234.20	418.43
5.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या**	2011	प्रतिशतता	24.9	31.1
6.	लिंगानुपात**	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
7.	साक्षरता दर&	2011	प्रतिशतता	66.10	73.00
8.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/जीडीपी$	2021-22	₹ में	1,49,911	1,72,913
9.	शिशु मृत्यु दर&&	2020	प्रति 1,000 जीवित जन्म	32.00	28.00
10.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा&&&	2015-2019	वर्ष	69.00	69.70
11.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)[1]	2011-12	प्रतिशतता	14.71	21.92

* वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (2021)।

^ जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या अनुमान।

^^ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01 मार्च को अनुमानित जनसंख्या।

** आर्थिक समीक्षा 2021-22, राजस्थान सरकार

& जनगणना 2011

$ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय, भारत सरकार

&& एस आर एस बुलेटिन[1]

&&& एस आर एस संक्षिप्त जीवन तालिका 2015-19, भारत के रजिस्ट्रार जनरल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 14.71 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 6.90 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,49,911 रही जो कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,72,913 से कम थी।

1. नमूना पंजीकरण प्रणाली

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक तय समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है।

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृतियों को **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	जीडीपी* (2011-12 श्रृंखला)	1,70,90,042	1,88,99,666$	2,00,74,656 Σ	1,98,00,914£	2,36,64,637@
2.	गत वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	(-)1.36	19.51
3.	जीएसडीपी** (2011-12 श्रृंखला)	8,32,529	9,11,674	9,99,050 Σ	10,13,323£	11,96,137#
4.	गत वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.46	9.51	9.58	1.43	18.04

* *केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय, भारत सरकार*

** *आर्थिक समीक्षा (2021-22), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार*

Σ *संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I, # अग्रिम अनुमान*

$ *तृतीय संशोधित अनुमान*

@ *अनन्तिम अनुमान*

जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, जीएसडीपी में 18.04 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई जो कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (19.51 प्रतिशत) से कम थी।

वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (2017-18 से 2021-22)

चार्ट 1.1 से प्रकट होता है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में उद्योगों के सापेक्षिक योगदान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2017-18 में 29.23 प्रतिशत से वर्ष 2021-22 में 24.67 प्रतिशत रह गया । यद्यपि, वर्ष 2021-22 के दौरान वर्ष 2017-18 की तुलना में सेवा एवं कृषि क्षेत्र के सापेक्षिक योगदान में वृद्धि देखी गई।

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (वर्ष 2017-18 एवं 2021-22)

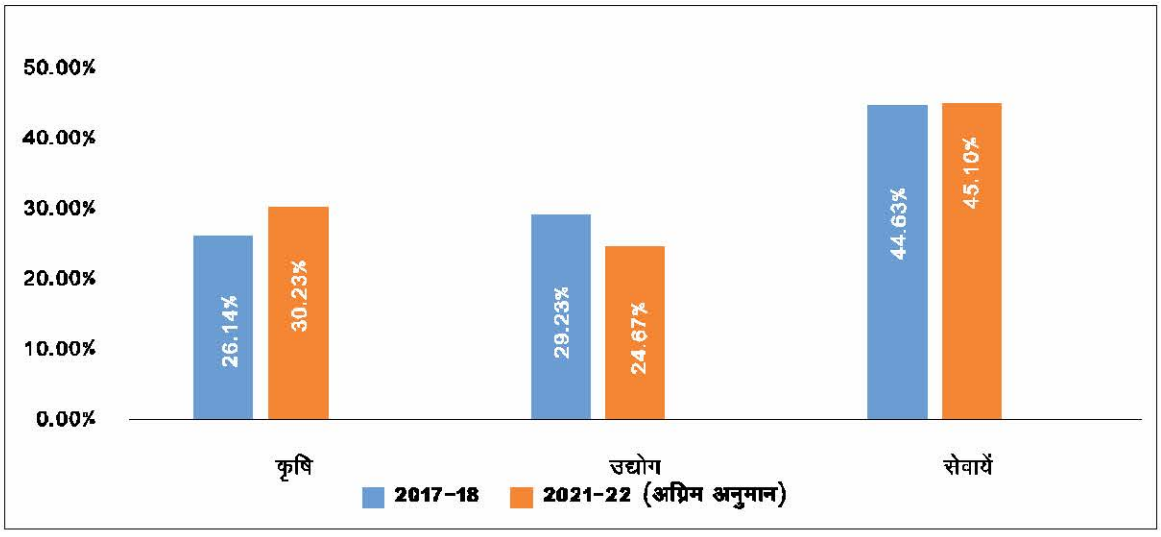

स्रोतः आर्थिक समीक्षा (2021-22), राजस्थान सरकार।

वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि

वर्ष 2021-22 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने तीव्र वृद्धि दर्ज की, जैसा कि **चार्ट 1.2** से देखा जा सकता है।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2017-18 से 2021-22)

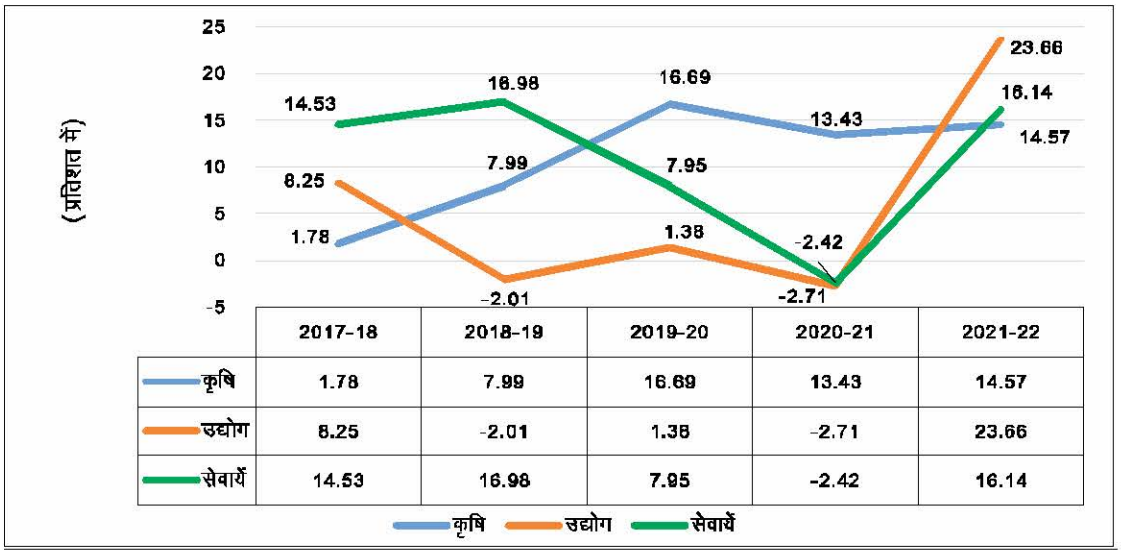

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कृषि	1.78	7.99	16.69	13.43	14.57
उद्योग	8.25	-2.01	1.38	-2.71	23.66
सेवायें	14.53	16.98	7.95	-2.42	16.14

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और ऐसे विभागों जो लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा भेजे गए वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रमुख आंकड़े जुटाते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा वर्ष के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस के साथ-साथ लेखांकन);
- आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकीय आंकड़ें; और
- वर्ष 2016-22 के दौरान तैयार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम), भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित पांच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय–I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति के प्रमुख सूचकांकों के वृहद् विश्लेषण का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय–II	**राज्य का वित्त** यह अध्याय राज्य के वित्त, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रो में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृतियों, राज्य के ऋण की जानकारी और राज्य के वित्त लेखों पर आधारित प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों का व्यापक परिदृश्य प्रदान करता है।
अध्याय–III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय–IV	**लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ** यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों की अनुपालना नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय–V	**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन** यह अध्याय सरकारी कंपनियों, वैधानिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है जैसा कि उनके लेखों से प्रदर्शित होता है।

1.4 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशि शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाता है और अप्रत्याशित व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशि, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी और अंतिम समायोजन लंबित है) सम्मिलित है। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' बजट का मुख्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, बजट राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व एवं केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश), कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

• **ऋण प्राप्तियां**: बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि;

• **गैर-ऋण प्राप्तियां**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां;

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार की एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप- कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और उनके वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना

निधि आधारित लेखांकन के साथ लेन-देनों का कार्यात्मक और आर्थिक वर्गीकरण सरकारी गतिविधियों/लेनदेनों के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है और लोक वित्त पर विधायी अनुश्रवण को सक्षम बनाता है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में (बजट के रूप में संदर्भित) राज्य विधानमंडल के समक्ष व्यय के अनुमानों के साथ-

• जो राज्य की समेकित निधि को प्रभारित हो;

• वे राशियाँ जो राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखते हुये, राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में उपरोक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 55 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया और इनके अनमोदन के पश्चात, समेकित निधि से आवश्यक राशि के विनियोजन के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया गया है।

जैसा कि **अनुच्छेद 1.2** में उल्लेख किया गया है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए वित्त और विनियोग लेखे मुख्य आंकड़े प्रदान करते हैं। ये लेखे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए विभिन्न अंतर-सरकारी और अन्य समायोजनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं। यह मानते हुए कि ये प्राप्तियां और व्यय बजट में अनुमानित किये गए और व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के बजट का बारीकी से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमानों के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित किया गया है।

1.4.1 वित्तीय स्थिति का सारांश

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2020-21 के वास्तविकों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.3: वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020-21 वास्तविक	2021-22 बजट अनुमान	2021-22 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	**कर राजस्व**	**95,859**	**1,30,157**	**1,28,839**	**217.79**	**10.77**
(i)	स्व-कर राजस्व	60,283	90,050	74,808	83.07	6.25
(ii)	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (अ)	35,576	40,107	54,031	134.72	4.52
2	कर-भिन्न राजस्व	13,653	17,698	18,755	105.97	1.57
3	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	24,796	36,475	36,326	99.59	3.04
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**1,34,308**	**1,84,330**	**1,83,920**	**99.78**	**15.36**
5	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	373	655	2,374	362.44	0.20
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	14	20	31	155.00	0.00
7	उधार और अन्य देयताएं (ब)	59,376	47,653	48,238	101.23	3.43[2]
8	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**59,763**	**48,328**	**50,643**	**104.79**	**4.23**

2. फुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 7,268 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	घटक	2020-21 वास्तविक	2021-22 बजट अनुमान	2021-22 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
9	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**1,94,071**	**2,32,658**	**2,34,563**	**100.82**	**19.61**
10	**राजस्व व्यय जिसमें**	**1,78,309**	**2,08,080**	**2,09,790**	**100.82**	**17.54**
11	ब्याज भुगतान	25,202	28,360	28,100	99.08	2.35
12	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	990	-	579	-	0.05
13	**पूँजीगत व्यय जिसमें (स)**	**15,762**	**24,578**	**24,773**	**100.79**	**2.07**
14	पूँजीगत परिव्यय	15,271	24,216	24,152	99.74	2.02
15	ऋण और अग्रिम	491	362	621	171.55	0.05
16	**कुल व्यय (10+13)**	**1,94,071**	**2,32,658**	**2,34,563**	**100.82**	**19.61**
17	**राजस्व घाटा (4-10)**	**44,001**	**23,750**	**25,870**	**108.93**	**2.16**
18	**प्रभावी राजस्व घाटा (17-12)**	**43,011**	**-**	**25,291**	**-**	**2.11**
19	**राजकोषीय घाटा {16-(4+5+6)}**	**59,376**	**47,653**	**48,238**	**101.23**	**4.03**
20	**प्राथमिक घाटा (19-11)**	**34,174**	**19,293**	**20,138**	**104.38**	**1.68**

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखों का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल। प्रभावी उधार एवं अन्य देयताएं ₹40,970 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹7,268 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

(स) पूंजीगत खाते पर व्यय में पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार का राजस्व है। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति ₹ 3,746.34 करोड़ (वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित) जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त शेष होने के कारण राजस्थान ने राज्य के लिए पुनर्भुगतान दायित्व के बिना राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 7,268 करोड़ का वर्ष 2021-22 के दौरान बैक-टू-बैक ऋण भी प्राप्त किया। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 25,870 करोड़ एवं राजकोषीय घाटा ₹ 48,238 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 7,268 करोड़ ऋण प्राप्ति के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधियां सम्मिलित हैं। परिसम्पतियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। **तालिका 1.4 एवं *परिशिष्ट 1.2***, 31 मार्च 2022 को देयताओं एवं परिसम्पतियों का सारांश प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें					परिसम्पतियाँ				
		2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि/कमी
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	2,84,788.78	3,21,807.34	13.00	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,18,062.87	2,42,183.05	11.06
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	23,532.15	31,748.73	34.92	ब	ऋण एवं अग्रिम	9,965.41	8,213.06	(-)17.58
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि		**500.00**	**1,000.00**	–					
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	56,325.69	58,786.37	4.37	अ	अग्रिम	3.17	3.17	-
ब	जमायें	36,713.81	44,174.53	20.32	ब	प्रेषण	-	-	-
स	आरक्षित निधियां	11,242.77	12,587.26	11.96	स	उचंत एवं विविध	4.06	85.73	2011.58
द	प्रेषण	1.50	1.51	0.67	**नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)**		**6,487.51**	**14,669.09**	**126.11**
					योग		**2,34,523.02**	**2,65,154.10**	**13.06**
					राजस्व खाते में घाटा		**1,78,581.68**	**2,04,951.64**	**14.77**
योग		**4,13,104.70**	**4,70,105.74**	**13.80**	**योग**		**4,13,104.70**	**4,70,105.74**	**13.80**

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियां 13.06 प्रतिशत बढ़ी जबकि देयताएँ 13.80 प्रतिशत बढ़ी।

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं राजकोषीय स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा अपना 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम', 2005 अधिनियमित किया गया था। इसको वर्ष 2011, 2016 एवं 2021 में संशोधित किया गया। पन्द्रहवें वित्त आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों को ऋण समेकन के सुझाये गए मार्ग की पालना करनी चाहिए और ऐसा करने में, उन्हें एफआरबीएम अधिनियमों में निहित ऋण एवं राजकोषीय घाटे दोनों की परिभाषा का पालन करना चाहिये, जो कि बजट से इतर उधार, आकस्मिक देयताओं एवं प्रत्याभूतियों से जुड़े मामलों को मान्यता प्रदान करता है।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्न दृष्टिगत हुये:

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2021-22 तक लगातार नौ वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटे के सन्दर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.5: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	बजट अनुमान	(-) 8,802	(-)13,528	(-)17,455	(-) 27,015	(-) 12,346	(-) 23,750
2.	संशोधित अनुमान	(-)17,838	(-)20,166	(-)24,825	(-) 28,041	(-) 41,722	(-) 35,689
3.	वास्तविक	(-)18,114	(-)18,535	(-)28,900	(-)36,371	(-) 44,001	(-) 25,870

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

टिप्पणी: वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान घाटा/आधिक्य उदय[3] के प्रभाव सहित दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 25,870 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 23,750 करोड़) में किये गए आंकलन से अधिक एवं संशोधित अनुमानों (₹ 35,689 करोड़) में किये गए आंकलन से कम था। उपरोक्त स्थिति इंगित करती है कि संशोधित अनुमान तैयार करते समय राज्य को प्राप्ति और व्यय के अधिक वास्तविक अनुमान लगाने होंगे।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व घाटा बजट अनुमान (₹ 2,120 करोड़) से अधिक था क्योंकि वास्तविक राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान ₹ 1,84,330 करोड़ के विरुद्ध घटकर ₹ 1,83,920 करोड़ रह गई (इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से भारत सरकार से प्राप्त होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त ₹ 3,746 करोड़ रुपये शामिल हैं) अर्थात 0.22 प्रतिशत (₹ 410 करोड़) की गिरावट रही जबकि वास्तविक राजस्व व्यय बजट अनुमान ₹ 2,08,080 करोड़ के विरुद्ध बढ़कर ₹ 2,09,790 करोड़ हो गया अर्थात 0.82 प्रतिशत (₹ 1,710 करोड़) अधिक रहा।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ख) (2011 में यथा संशोधित) में, वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत प्राप्त करने तथा उसके आगे इसी अनुपात को बनाये रखने या

3. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रारम्भ किया गया वित्तीय कायाकल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

इससे कम करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त, राजस्थान एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम[4] 2021 के अनुसार, राज्य वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी के लिए पात्र है, जिसे बिजली क्षेत्र में कुछ प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।

तथापि ऋण-जीएसडीपी अनुपात के लक्ष्य को बढ़ाने के लिये एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया (मार्च 2021), राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अपरिवर्तित रहा। निम्नलिखित तालिका गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

तालिका 1.6: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2019-20	3.27	3.22	3.77
2.	2020-21	3.35	5.78	5.86
3.	2021-22	3.98	5.18	4.03

स्रोत: बजट दस्तावेजों से बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 3 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक रहा। राजकोषीय घाटा ₹ 48,238 करोड़ (जीएसडीपी का 4.03 प्रतिशत) रहा जो कि बजट अनुमान (₹ 47,653 करोड़) से थोड़ा अधिक था, लेकिन संशोधित अनुमान (₹ 62,015 करोड़) से बहुत कम था।

(iii) राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रावधानों में संशोधन किया (मार्च 2021) एवं 1 अप्रेल 2020 से प्रारम्भ छः वर्षों की अवधि के लिए कुल बकाया देयताओं की सीमा जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत तक करने और तत्पश्चात इस अनुपात को बनाये रखना या कम करना निर्धारित किया। वर्ष 2021-22 के दौरान देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 37.70 प्रतिशत[5] (जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के बदले में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़[6] को हटाकर) रहा जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था।

4. 25 सितंबर 2021 को यथासंशोधित।
5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए: जीएसडीपी ₹ 11,96,137 करोड़ और लोक ऋण और अन्य देनदारियाँ ₹ 4,50,973 करोड़ (जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के बदले में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ को छोड़कर)।
6. वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 4,604 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 7,268 करोड़ रुपये।

तालिका 1.7: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	राजस्व अधिशेष	(-)18,535	(-)28,900	(-)36,371	(-)44,001	(-)25,870
			✗	✗	✗	✗	✗
2.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत	(-)25,342 (3.04)	(-)34,473 (3.78)	(-)37,654 (3.77)	(-)59,376 (5.86)	(-)48,238 (4.03)
			✗	✗	✗	✗	✗
3.	कुल बकाया देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	35.50	35.00	34.00	38.20	38.20
		उपलब्धि	33.77	34.15	35.30	40.06[7]	37.70
			✓	✓	✗	✗	✓

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 38.69 प्रतिशत हैं। तथापि, प्रभावी ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (37.70 प्रतिशत) कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है जैसाकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की गई मध्यकालिक राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) में निर्धारित किए गये राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की वर्तमान वर्ष के वास्तविकों के साथ तुलना नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित की गई है:

तालिका 1.8: वर्ष 2021-22 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2021-22)	अंतर (प्रतिशत में)
1.	स्व-कर राजस्व	90,050	74,808	(-) 16.93
2.	कर-भिन्न राजस्व	17,698	18,755	5.97
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	40,107	54,031	34.72
4.	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	36,475	36,326	(-) 0.41
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,84,330	1,83,920	(-) 0.22
6.	राजस्व व्यय	2,08,080	2,09,790	0.82
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	(-) 23,750	(-) 25,870	8.93

7. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2021-22)	अंतर (प्रतिशत में)
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 47,653	(-) 48,238	1.23
9.	ऋण- जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	38.15	37.70	(-) 1.18
10.	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	25.10	18.04	(-) 28.13

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, दो प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में वास्तविक, एमटीएफपी के अनुमानों से अधिक थे। तथापि ऋण-जीएसडीपी अनुपात के अनुमानों को भी प्राप्त किया था, वर्ष के अंत में एमटीएफपी में अनुमानित की तुलना में ऋण-जीएसडीपी अनुपात कम था।

चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2017-22 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृति को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे के संकेतकों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

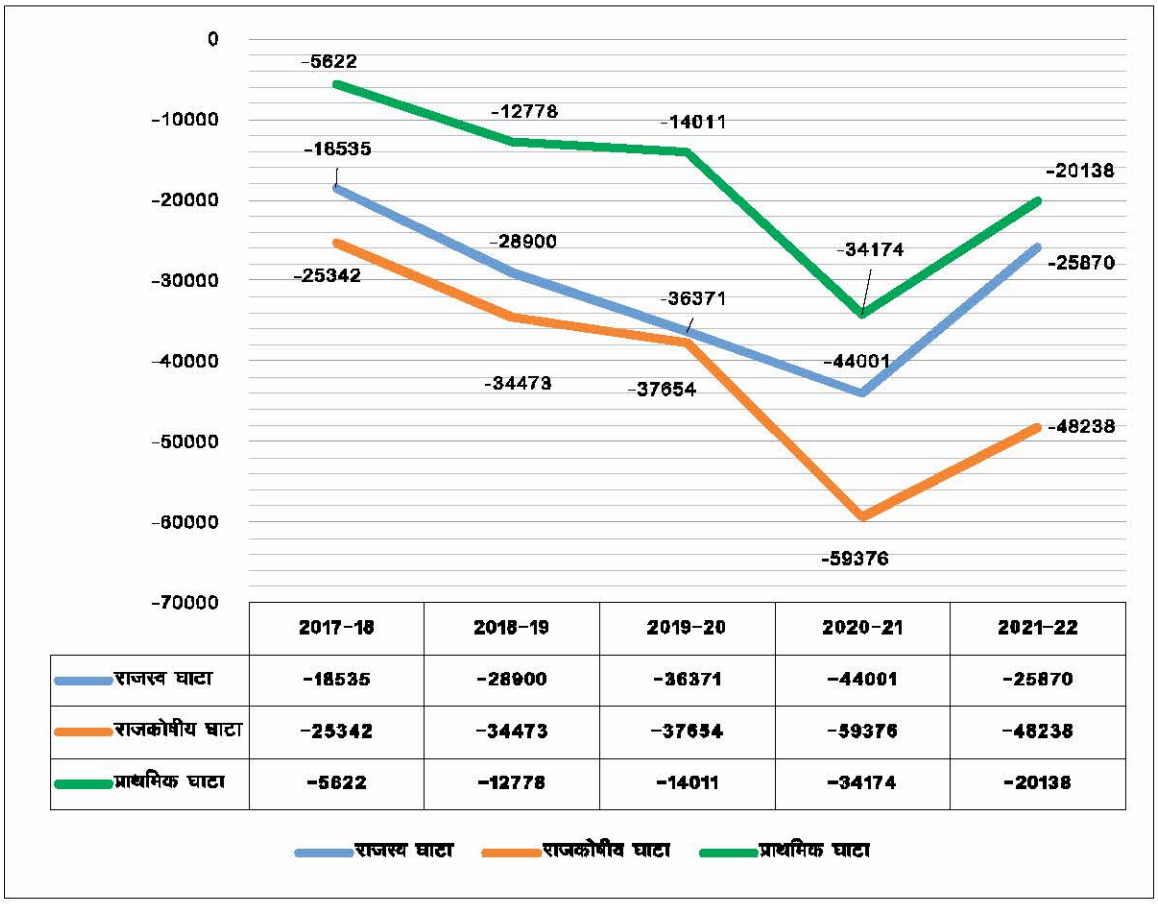

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा	-18535	-28900	-36371	-44001	-25870
राजकोषीय घाटा	-25342	-34473	-37654	-59376	-48238
प्राथमिक घाटा	-5622	-12778	-14011	-34174	-20138

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे के संकेतकों की प्रवृति

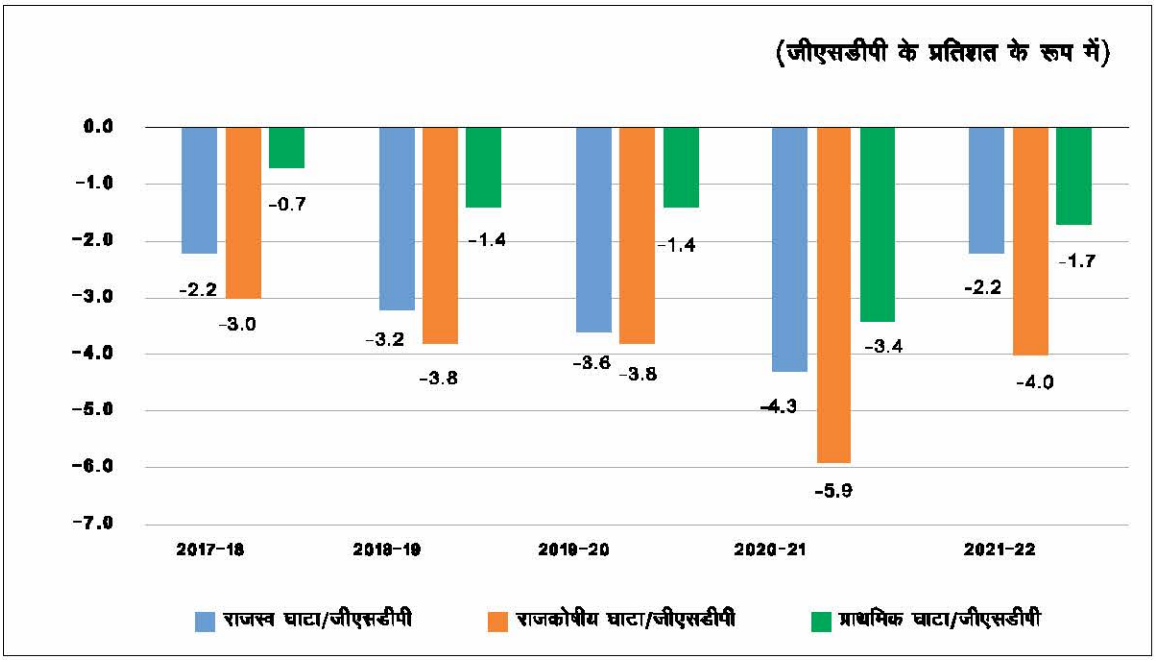

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

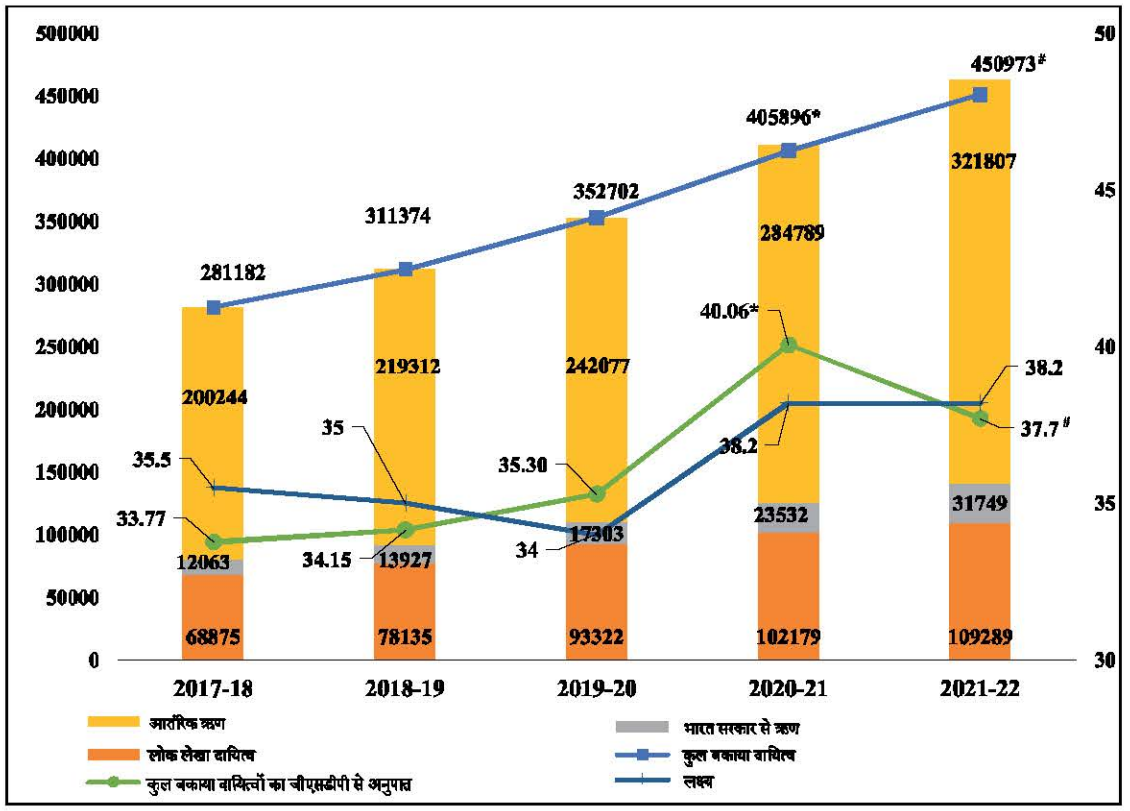

* *कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

\# *कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।*

वर्ष 2021-22 के दौरान, आंतरिक ऋण में 13.00 प्रतिशत (₹ 37,018 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 6.96 प्रतिशत (₹ 7,110 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में 34.92 प्रतिशत (₹ 8,217 करोड़) की वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 12.75 प्रतिशत (₹ 52,345 करोड़) बढ़ गई। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि वर्ष 2020-21 में ₹ 23,532 करोड़ से वर्ष 2021-22 में ₹ 31,749 करोड़ राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले बैक-टू-बैक ऋण के अंतर्गत ₹ 7,268 करोड़ की प्राप्ति के कारण हुई।

31 मार्च 2022 को, गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड जारी किये जाने के कारण उदय के तहत ₹ 30,919 करोड़ की बकाया उधारी जो राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा है सहित कुल ₹ 4,50,973 करोड़[8] की राजकोषीय देयतायें थी।

1.6 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल ऋण

लेखापरीक्षा जांच में लेखों में गलत वर्गीकरण और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार देखे गये जिसने कुल घाटे और ऋण के आंकड़ों को प्रभावित किया है। लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद ऋण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

1.6.1 लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा

राजस्व व्यय का पूंजीगत के रूप में गलत वर्गीकरण एवं सुस्पष्ट दायित्वों को टाल देना घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, नयी अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में कम अंशदान, उपकर का कम हस्तांतरण, आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों पर पहुंचने के लिए ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को समाप्त करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि **तालिका 1.9** में वर्णित है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
	आरक्षित/जमा निधि में अन्य हस्तांतरण				
1.	ब्याज-वाली आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना	-	16.12	-	16.12
2.	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकार के अंशदान का एनएसडीएल को कम हस्तांतरण	-	641.89	-	641.89

8. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर है।

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
3.	केन्द्रीय सड़क निधि का हस्तांतरण नहीं करना	-	148.40	-	148.40
4.	राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	-	1,044.21	-	-
5.	ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान जारी नहीं करना	-	856.20	-	856.20
6.	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अनुदान जारी नहीं करना	-	885.50	-	885.50
	योग	**(निवल) कम आँका गया 3,592.32**		**(निवल) कम आँका गया 2,548.11**	
आरक्षित/जमा निधि में उपकर/ अधिभार का हस्तांतरण					
7.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण	-	133.32	-	133.32
8.	गौ और उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अधिभार का कम हस्तांतरण	-	252.42	-	252.42
9.	जल संरक्षण उपकर का कम हस्तांतरण	-	52.82	-	52.82
10.	अन्य उपकर और अधिभार[9] का अधिक हस्तांतरण	1,341.76	-	1,341.76	-
	योग (उपकर/ अधिभार)	**(निवल) अधिक आँका गया 903.20**		**(निवल) अधिक आँका गया 903.20**	
	महायोग	**(निवल) कम आँका गया 2,689.12**		**(निवल) कम आँका गया 1,644.91**	

स्रोतः वित्त लेखें और लेखापरीक्षा विश्लेषण

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य सरकार के राजस्व घाटे को ₹ 2,689.12 करोड़ और उसके राजकोषीय घाटे को ₹ 1,644.91 करोड़ कम आँका गया था।

1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात – कुल लोक ऋण

राज्य सरकार ने विभिन्न जिला परिषदों और राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से ₹ 1,580.91 करोड़ के बजट से इतर उधारों का सहारा लिया जैसा कि नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

9. (i) पेट्रोल और डीजल उपकर एवं (ii) आधारभूत संरचना विकास उपकर।

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात 31 मार्च 2022 को कुल ऋण की स्थिति

1.		कुल ऋण (₹ 4,50,972.81 करोड़[10])	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (37.70 प्रतिशत[11])
2.	कुल ऋण (कम आँका गया) पर प्रभाव के कारण (₹ करोड़ में)		
अ.	राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न जिला परिषदों द्वारा लिया गया बजट से इतर उधार जिनके मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,512.44	
ब.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा लिया गया बजट से इतर उधार	68.47	
	योग 2	**1,580.91**	**0.13**
	योग (1+2)	**4,52,553.72**	**37.83[11]**

राज्य के बजट से इतर उधारों को शामिल करते हुए मार्च 2022 के अंत में कुल बकाया ऋण ₹ 4,50,972.81 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4,52,553.72 करोड़ था। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में कुल ऋण को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.13 प्रतिशत कम दर्शाया गया।

10. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,872 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर है।
11. कुल बकाया ऋण देनदारिया ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति ₹ 11,872 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।